रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7, 1985 (अग्रहायण 16, 1907)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7, 1985 (AGRAHAYANA 16, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	863
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	1493
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1567
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	40193
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	943
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2126
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	195
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	863
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1493
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1567
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	40193
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	843
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2125
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	195
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1985

सं० 120-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का भार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अजय राज शर्मा,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
आगरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 मई, 1982, को श्री अजय राज, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आगरा, को बाह में पड़ाव के समय चम्बल की तंग घाटी के गांव भगवानपुरा, थाना खेड़ा राठौर, आगरा, में जगतपाल सिंह कुशवाहा उर्फ जगता काछी के गिरोह के बारे में दो अपहृत व्यक्तियों के साथ उपस्थित होने की सूचना मिली। श्री शर्मा ने तुरन्त उपलब्ध पी० ए० सी०/पुलिस बल के साथ कार्यवाही शुरु करने की योजना बनाई। उन्होंने बल को पांच टुकड़ियों में बांटा तथा चार पुलिस दलों को डाकुओं के बचकर भागने के संभावित रास्तों को रोकने के लिए तैनात किया। पी० ए० सी०, आगरा, की 15वीं बटालियन की एस० एल० आर०, कम्पनी सहित मुख्य दल को गांव भगवानपुरा से कन्जरा घाट रोड के क्षेत्र में छानबीन करने के लिए तैनात किया गया। श्री शर्मा ने इस दल का नेतृत्व स्वयं किया।

जब छानबीन करने वाला दल लगभग एक किलोमीटर बढ़ा, तो घाटी के ऊपर खड़े डाकुओं के गिरोह के सन्तरी ने पुलिस पार्टी को देखा और गिरोह को सूचित कर दिया। गिरोह ने कन्जरा घाट रोड की ओर बचकर भागने की कोशिश की परन्तु अवरोधक दल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। पीछे की ओर हटते हुए गिरोह का छानबीन करने वाले दल से आमना-सामना हुआ और श्री शर्मा ने डाकुओं को आत्म-समर्पण करने के लिए कहा। गिरोह ने, इसके बजाय गोली चलाना शुरु कर दिया तथा पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली का जवाब गोली से दिया। क्योंकि गोलीबारी कारगर नहीं हो रही थी, इसलिए श्री शर्मा ने प्लाटून कमाण्डर चन्द्र प्रकाश पाठक को आगे बढ़ने और डाकुओं को उखाड़ने के लिए दो ग्रेनेट फैंकने के लिए कहा, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। क्योंकि डाकू घाटी की आड़ में सुरक्षित लिये थे। उन्होंने उप निरीक्षक नरेश पाल यादव को डाकुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ सिपाहियों को लेने और घाटी के पास ही मोर्चा सम्भालने के लिए कहा ताकि गिरोह को गोलीबारी में व्यस्त रखा जा सके। गोलियों की आड़ में, श्री शर्मा, निरीक्षक प्रमेन्द्र सिंह तथा प्लाटून कमाण्डर पाठक सहित कुछ पुलिस कार्मिकों को लेकर घाटी में नीचे गये जिससे कि गिरोह के बिल्कुल पास स्थिति सम्भाल सकें। गिरोह ने पुलिस बल के नजदीक आने तथा उनकी ओर बढ़ने का आभास होने पर पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की। अपनी जान को भारी खतरे में डालकर श्री शर्मा घाटी के किनारे पर पहुंचे जहां से वे गुफाओं में जिनमें गिरोह के कुछ व्यक्ति छिपे थे गोली चला सकें। गोलीबारी के दौरान 4 डाकू मुख्यतः जगतपाल सिंह कुशवाहा, बाबू राम, रामलखन अहीर तथा भूरा मल्लाह मौत के घाट उतार दिए गए।

अपहृतों में से एक लड़के को डाकू ने मार डाला तथा दूसरे को पुलिस ने बचा लिया क्योंकि क्षेत्र पुलिस द्वारा पूरी तरह से घेरा हुआ था इसलिए शेष चार डाकू भी दो भिन्न-भिन्न पुलिस दलों द्वारा मार डाले गए। इस प्रकार कुख्यात डाकू जगत काछी का सारा गिरोह समाप्त कर दिया गया। मृत डाकुओं से एक 20 स्प्रिंग फील्ड राईफल-स्वचालित राइफल, दो फैक्टरी मेड एस० बी० बी० एल० 12 बोर की बन्दूकें, एक देसी .303 राइफल, 32 बुलेटस, 36 कारतूस, 88 खाली, एक चार्जर केस तथा अन्य सामान बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री अजय राज शर्मा, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह राष्ट्रपति का पुलिस पदक का भार राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1982, से दिया जाएगा।

सं० 121-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री आर० के० तिवारी,
पुलिस अधीक्षक,
आगरा।

श्री भुदल सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप अधीक्षक,
आगरा।

श्री परमेन्द्र सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
आगरा।

श्री नरेशपाल यादव,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना बाह,
आगरा।

श्री जगवीर सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
आगरा।

श्री चन्द्र प्रकाश पाठक,
प्लाटून कमाण्डर,
XV/बटालियन,
पी० ए० सी०,
आगरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 मई, 1982, को पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आगरा, को वाह में पड़ाव के समय चम्बल की तंग घाटी के गांव भगवानपुरा, थाना खेड़ा राठौर, आगरा, में जगतपाल सिंह कुशवाहा उर्फ जगता काछी के गिरोह की दो अपहृत व्यक्तियों के साथ उपस्थिति की सूचना मिली। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने तुरन्त सशस्त्र पी० ए० सी०/पुलिस दल के साथ कार्यवाही शुरु करने की योजना बनाई। उन्होंने दल को पांच टुकड़ियों में बांटा और चार पुलिस दलों को डाकुओं के बचकर भागने के सम्भावित रास्तों को रोकने के लिए तैनात किया। अवरोधक दलों में से एक दल का नेतृत्व श्री भूदल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक ने किया। पी० ए० सी० आगरा की 15वीं बटालियन की एस० एल० आर० कम्पनी सहित मुख्य दल को गांव भगवानपुरा से कन्जरा घाट रोड के क्षेत्र में खोज करने के लिए तैनात किया गया। इस दल का नेतृत्व स्वयं पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने किया और इसे विभिन्न अधिकारियों नामतः श्री आर० के० तिवारी, पुलिस अधीक्षक, श्री परमेन्द्र सिंह, निरीक्षक, श्री चन्द्र प्रकाश पाठक, प्लाटून कमाण्डर, श्री नरेशपाल यादव, उप निरीक्षक तथा श्री जगवीर सिंह, उप निरीक्षक, के अधीन प्लाटून—चार विभाजित किया।

जब छानबीन करने वाला दल लगभग एक किलोमीटर बढ़ा, तो घाटी के ऊपर खड़े डाकू गिरोह के सन्तरी ने पुलिस दल को देख लिया और गिरोह को सूचित कर दिया। गिरोह ने कन्जरा घाट रोड़ की ओर बचकर भागने की कोशिश की परन्तु अवरोधक दल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। पीछे की ओर हटते हुए गिरोह का आमना सामना खोजी दल से हो गया जिसका नेतृत्व पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक तथा श्री आर० के० तिवारी, पुलिस अधीक्षक, कर रहे थे। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने डाकुओं को आत्म समर्पण करने के लिए कहा गिरोह ने इसके बजाय गोली चलाना शुरु कर दिया तथा पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली का जवाब गोली से दिया। चूंकि गोलीबारी कारगर नहीं हो रही थी, इसलिए पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने प्लाटून कमाण्डर चन्द्र प्रकाश पाठक को आगे बढ़ने और डाकुओं को हटाने के लिए दो ग्रेनेट फेंकने को कहा, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि डाकू घाटी की आड़ में सुरक्षित छिपे थे। डाकुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने उप निरीक्षक यादव को कुछ सिपाहियों को लेने और घाटी के पास ही मोर्चा संभालने के लिए कहा ताकि गिरोह को गोलीबारी में व्यस्त रखा जा सके। गोलीबारी की आड़ में पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक निरीक्षक परमेन्द्र सिंह तथा प्लाटून कमाण्डर पाठक सहित कुछ व्यक्तियों को लेकर घाटी में नीचे गये जिससे कि गिरोह के बिल्कुल पास मोर्चा सम्भाल सकें। गिरोह ने पुलिस के नजदीक आने तथा उनकी ओर बढ़ने का आभास होने पर पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की। अपनी जान को भारी खतरे में डालकर, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक तथा उनके जवान घाटी के किनारे पर पहुंचे जहां से वे गुफाओं में जिनमें गिरोह के कुछ व्यक्ति छिपे थे गोली चला सकें। गोलीबारी के दौरान चार डाकुओं नामतः जगतपाल सिंह कुशवाहा, बाबू राम, रामलखन अहीर तथा भूरा मल्लाह मारे गए।

जैसे ही गोलीबारी रुकी, बचे हुए डाकुओं ने दक्षिण की ओर बचकर भागने की कोशिश की जहां उनका सामना श्री भूदल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, के नेतृत्व वाले अवरोधक दल से हुआ। भारी गोलीबारी के बाद, वे दो डाकुओं नामतः अमीर तथा छोटे ब्राह्मण को मारने में सफल हुए। शेष डाकुओं को पीछे धकेल दिया गया। फिर उन्होंने उत्तर की ओर बचकर भागने की कोशिश की जहां उनका सामना श्री आर० के० तिवारी, पुलिस अधीक्षक, के नेतृत्व वाली दो प्लाटूनों से हुआ। चूंकि गिरोह पहले ही भारी हताहत हो चुका था, इसलिए गिरोह के बचे हुए सदस्यों ने भारी गोलीबारी में से भाग निकलने की निष्फल कोशिश की। श्री तिवारी ने अपने मजबूत मोर्चे का पूरा लाभ उठाया तथा बचे हुए दोनों डाकुओं नामतः शत्रुघ्न ठाकुर तथा धनराज ठाकुर को मौत के घाट उतारने में सफल हुए। इस प्रकार डाकू जगता काछी के पूरे गिरोह का सफाया कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री आर० के० तिवारी, पुलिस अधीक्षक, श्री भूदल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, श्री परमेन्द्र सिंह, निरीक्षक, श्री नरेश पाल यादव, उप निरीक्षक, श्री जगवीर सिंह, उप निरीक्षक तथा श्री चन्द्र प्रकाश पाठक, प्लाटून कमाण्डर, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च-कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1982, से दिया जाएगा।

मु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप-सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 1985

संकल्प

सं० 8-2/85-आई० जे०एस०सी०—योजना आयोग के दिनांक 1 जून, 1962 के संकल्प संख्या एफ० 13 (39)/62-प्रशासन-1 द्वारा स्थापित भारत और जापान में आर्थिक विकास संबंधी अध्ययन के लिए गठित समिति और 13 जनवरी, 1979 के संख्या 8-2/79-आई० जे० एस० सी० द्वारा भारत-जापान अध्ययन समिति के रूप में नामोद्दिष्ट तथा बाद में योजना आयोग के दिनांक 22 अगस्त, 1985 के संकल्प संख्या 8-2/85-आई० जे० एस० सी० द्वारा पुनर्गठित समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया है :

श्री आबिद हुसैन	अध्यक्ष
श्री दिनेश सिंह	सदस्य
प्रोफेसर एस० रामशेषन	सदस्य
श्री पी० एस० देवधर	सदस्य
श्री ध्रुव साहनी	सदस्य
डा० पी० सी० जोशी	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव और विदेश में सभी भारतीय मिशनों के अध्यक्षों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1985

संकल्प

सं० ई० 11015/6/83-हिं० अ०—भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालयों का पुनर्गठन किए जाने के फलस्वरूप उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत अब निम्नलिखित चार विभाग होंगे :—

1. औद्योगिक विकास विभाग,
2. कम्पनी कार्य विभाग,
3. सार्वजनिक उद्यम विभाग; तथा
4. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग।

उपर्युक्त पुनर्गठन के अनुसार उद्योग मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 27 अप्रैल, 1984 में तदनुसार संशोधन करने का निर्णय किया गया है। समिति का गठन अब निम्न प्रकार होगा :—

1. उद्योग मंत्री — अध्यक्ष
2. उद्योग राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

3. श्री भरत कुमार ओडेदरा,
संसद सदस्य (लोक सभा),
मयूर ओजेश्वर प्लाट,
पोरबन्दर–360575.

4. श्री राम सिंह यादव,
संसद सदस्य (लोक सभा),
14, जनपथ,
नई दिल्ली।

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

5. श्री रामचन्द्र भारद्वाज,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
1–ए, सुनहरी बाग रोड़,
नई दिल्ली।

6. (संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित किया जाना है)

7. श्री सुधाकर पाण्डेय,
संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा
महामंत्री नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी।

8. श्री आर० के० मालवीय,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
171, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

9. श्री ओम मेहता,
भूतपूर्व संसद सदस्य,
30, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली।

10. श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति,
बी–4/एफ–2, उद्योग नगर,
कालोनी, पंजागुटा,
हैदराबाद–500482.

11. डा० राम मनोहर त्रिपाठी,
विधायक,
महाराष्ट्र विधान परिषद,
टाइम्स आफ इंडिया भवन,
पोस्ट बाक्स नं० 213,
बम्बई–400001.

12. श्री विनोद कुमार मिश्र,
सम्पादक,
दैनिक हिन्दुस्तान,
18/20, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली।

13. श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
सम्पादक,
अमर उजाला,
गुरु का ताल, उद्योग नगर,
आगरा।

14. श्री आनन्दस्वरूप जैन,
सम्पादक,
सान्ध्य टाइम्स,
7, बहादुरशाहजफर मार्ग,
नई दिल्ली।

15. श्री धर्मवीर भारती,
सम्पादक,
टाइम्स आफ इण्डिया,
टाइम्स आफ इण्डिया भवन,
बम्बई।

16. श्री एम० के० वेलायुधन नायर,
मंत्री,
केरल हिन्दी प्रचार सभा,
तिरुवनन्तपुरम–695014.

17. डा० वीरेन्द्र कुमार दुबे,
1595, नेपियर टाउन,
जबलपुर।

18. श्री आर० पी० पाण्डेय,
उपाध्यक्ष,
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,
33/2, स्टेनली रोड,
इलाहाबाद।

19. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी,
कार्यकारी अध्यक्ष,
राजस्थान साहित्य सम्मेलन,
प्रियम्बदा सदन,
अशोक मार्ग, "सी" स्कीम,
जयपुर (राजस्थान)

सरकारी सदस्य

(क) औद्योगिक विकास विभाग

20. सचिव
21. अपर सचिव
22. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
23. आर्थिक सलाहकार
24. विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
25. सचिव, (तकनीकी विकास) एवं तकनीकी विकास के महानिदेशक
26. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो
27. विकास आयुक्त (कोयला उद्योग)
28. संयुक्त सचिव, (प्रशासन)
29. संयुक्त सचिव (औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय)
30. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन)
31. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी)—सदस्य सचिव

(ख) कम्पनी कार्य विभाग

32. सचिव
33. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
34. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी)

(ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग

35. सचिव
36. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
37. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी)

(घ) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

38. सचिव

39. संयुक्त सचिव (प्रशासन)

40. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी)

41. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

42. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

2. कार्य :

इस समिति का कार्य उद्योग मंत्रालय को सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य-काल:

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहते ही इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन-सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसी स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्षों की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य :

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्य को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है।

5. यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्य को समिति तथा उप-समितियों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

बीरेन्द्र कुमार चानना, संयुक्त सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1985

संकल्प

सं० 48/(8)81-भेड़—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 28 सितम्बर, 1985 के संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ का अधिक्रमण करते हुए, तत्काल से केन्द्रीय भेड़ विकास सलाहकार परिषद को तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

परिषद का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1. अध्यक्ष — कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री

2. उपाध्यक्ष — कृषि राज्य मंत्री

3. सदस्य

संसद के प्रतिनिधि

(1) लोक सभा से दो सदस्य, और

(2) राज्य सभा से एक सदस्य

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(1) सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग

(2) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

(3) अपर सचिव प्रभारी, पशु पालन प्रभाग

(4) पशुपालन आयुक्त

(5) उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग

(6) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

(7) वाणिज्य मंत्रालय (सूती वस्त्र विभाग) का एक प्रतिनिधि

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

(1) उप महानिदेशक, पशु विज्ञान

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(1) निदेशक भेड़ पालन, जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर/जम्मू

(2) निदेशक, पशु पालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

(3) निदेशक, भेड़ एवं ऊन, राजस्थान, जयपुर।

(4) निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(5) निदेशक, पशु पालन, कर्नाटक, बंगलौर

(6) निदेशक, पशु पालन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

(7) निदेशक, पशु पालन, हरियाणा, चण्डीगढ़

(8) निदेशक, पशु पालन, तमिलनाडु मद्रास

(9) प्रबन्ध निदेशक, गुजरात भेड़ एवं ऊन विकास निगम, अहमदाबाद

(10) प्रबन्ध निदेशक, महाराष्ट्र भेड़ एवं ऊन विकास निगम, पुणे।

(11) प्रबन्ध निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर भेड़ विकास उत्पाद, श्रीनगर।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का प्रतिनिधि

ऊन संसाधकों का प्रतिनिधि

अखिल भारतीय हथकरघा का एक प्रतिनिधि

व्यापार का प्रतिनिधि

(1) भारतीय ऊन मिल संघ का एक प्रतिनिधि

(2) अखिल भारतीय ऊन व्यापार संघ का एक प्रतिनिधि

किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी प्रतिनिधि

(1) श्री करसन भाई पुरोहित, बी० ए० एल० एल० बी, डाकघर जसदान जिला राजकोट (गुजरात)

(2) श्री हरी कुमार चौहान, 21/83, धुलियागंज, आगरा : 282003

(3) श्री रामजी लाल नेगी, ग्राम एवं डाकघर असरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर (हि० प्र०)

(4) श्री बल्ला राम देवासी, एडवोकेट, अध्यक्ष, राजस्थान पशु पालन संघ, जालोर (राजस्थान)

(5) श्री सुजाना राम रबारी, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान पशु पालक संघ, जालोर

सदस्य सचिव संयुक्त आयुक्त (भेड़)

इसके अलावा, भारत सरकार समय-समय पर अतिरिक्त सदस्य नामित कर सकती है।

परिषद एक सलाहकारी निकाय के रूप में होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए भेड़, बकरी खरगोश विकास कार्यक्रमों पर समय समय पर विचार करना;

(2) भेड़, बकरी तथा खरगोश विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना तथा जहां आवश्यकता हो, गति जानने के लिए उपाय सुझाना;

(3) ऊन वर्गीकरण, परिसंस्करण तथा इसके उपयोग संबंधी समस्याओं पर विचार करना;

(4) भेड़ बकरी, खरगोश तथा उनके उत्पादों के विपणन की समस्याओं पर विचार करना;

(5) भेड़, बकरी खरगोश तथा उनके उत्पादों के आयात/निर्यात संबंधी नीतियों पर विचार करना, तथा

(6) परिषद् को समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर परिषद की सावधिक बैठक होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

बी० एस० सराव, अपर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1985

संकल्प

सं० ई-11015/1/85-हिन्दी—सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 9-9-1985 के संकल्प सं० ई-11015/1/85-हिन्दी में, पैरा 2 को क्रम सं० 20 के सम्मुख प्रविष्टियों को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"श्री म० सुब्रमणियन,
प्रधान,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजेन्द्र सिंह जाफा,
संयुक्त सचिव।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय

(संसदीय कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1985

संकल्प

विषय :— सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कार्यकारी दल का पुनर्गठन

सं० फा० 2(7)/83-अनु और सम्मे—अक्तूबर, 1983 में हुए नौवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुसरण में अभी तक हुए सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों की जांच एवं समीक्षा करने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक और विधायी उपायों का सुझाव देने के लिए 7 मई, 1984 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था।

अब इस कार्यकारी दल का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. पुनर्गठित कार्यकारी दल के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री एच० के० एल० भगत, केन्द्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (अध्यक्ष)
2. श्री गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष)
3. श्री सीताराम केसरी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष)

संसद में दलों/ग्रुपों के प्रतिनिधि

4. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव, संसद सदस्य (तेलगु देशम)
5. श्री अमल दत्त, संसद सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
6. श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर, संसद सदस्य जनता
7. श्री विजय कुमार यादव, संसद सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
8. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव, संसद सदस्य कांग्रेस (एस०)

9. श्री हरि कृष्ण शास्त्री, संसद सदस्य	कांग्रेस (आई)
10. श्री सरताज सिंह, संसद सदस्य	कांग्रेस (आई)
11. श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य	लोक दल
12 श्री अश्विनी कुमार, संसद सदस्य	भारतीय जनता पार्टी

राज्यों के प्रतिनिधि :

13. श्री के० वी० नारायण राव, सरकारी मुख्य सचेतक	आन्ध्र प्रदेश
14. श्री थीरु नुराई गोविन्दराजन, सरकारी मुख्य सचेतक	तमिलनाडु
15. श्री पतित पावन पाठक, सरकारी मुख्य सचेतक तथा गृह (संसदीय कार्य) विभाग के कार्यभारी राज्य मंत्री	पश्चिम बंगाल
16. श्री राम किशोर शुक्ल, वित्त एवं विधि मंत्री	मध्य प्रदेश
17. श्री राजवर्धन, सरकारी मुख्य सचेतक	कर्नाटक
18. श्री बुलाकीदास कल्ला, सरकारी मुख्य सचेतक	राजस्थान
19. श्री भीष्म प्रसाद यादव, सरकारी मुख्य सचेतक	बिहार
20. श्री सक मतलब अली, सरकारी मुख्य सचेतक	उड़ीसा
21. श्री हुक्म सिंह, संसदीय कार्य, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्री	उत्तर प्रदेश
22. श्री एन० एम० लिडके, सहकारिता, श्रम एवं विधायी कार्य मंत्री तथा सरकारी मुख्य सचेतक	महाराष्ट्र
23. डा० के० सी० जोसफ, सरकारी मुख्य सचेतक	केरल

3. पुनर्गठित कार्यकारी दल का विचारार्थ विषय अभी तक हुए सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों की जांच एवं समीक्षा करना तथा उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक और विधायी उपायों का सुझाव देना होगा ।

4. अध्यक्ष/कार्यकारी दल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, कार्यकारी दल अपने आप को विभिन्न अध्ययन दलों में विभाजित कर सकता है

5. कार्यकारी दल

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और ऐसे प्राधिकरणों, संगठनों अथवा व्यक्तियों से जो कार्यकारी दल के विचार में उनके लिए सहायक हो, ऐसी जानकारी, जिसे वह अपने कार्य के लिए आवश्यक अथवा संगत समझे, ऐसे फार्म में और इस प्रकार प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार वह उपयुक्त समझे ।

(ख) अपनी बैठकें अथवा ऐसे अध्ययन दलों की बैठकें जो कि वे अपने सदस्यों में से नियुक्त करेंगे, ऐसे समय और स्थान पर कर सकेगी जो कि अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके अधिकार के अधीन नियत किये गये हों ।

(ग) किसी भी व्यक्ति को जिसे वह आवश्यक समझे अपने सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है ।

6. इस कार्यकारी दल का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा ।

7. कार्यकारी दल और उसके अध्ययन दलों को सचिवालय सहायता केन्द्रीय संसदीय कार्य विभाग, संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्रालय प्रदान करेगा तथा संसदीय कार्य विभाग, संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव कार्यकारी दल के सचिव होंगे ।

8. कार्यकारी दल अपने प्रतिवेदन को यथाशीघ्र, श्रेयकर, अपनी पहली बैठक की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर, अन्तिम रूप देने का प्रयत्न करेगा

ईश्वरी प्रसाद, सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1985

सं० क्यू०-16011/7/85-डब्ल्यू०ई०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्यू०-16011/7/85 डब्ल्यू०ई०, दिनांक 16 सितम्बर, 1985 में "इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से" शब्दों के स्थान पर "19 अगस्त, 1985 से" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाए।

सं० क्यू०-16011/7/85 डब्ल्यू०ई०—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू-16011/7/85-डब्ल्यू०ई०, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 में

"16 सितम्बर, 1985 से" शब्दों और अंकों के स्थान पर

"19 अगस्त, 1985 से" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

चिला चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th November 1985

No. 120-Pres/85.—The President is pleased to award Bar to the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ajai Raj Sharma,
Senior Superintendent of Police,
Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th May, 1982 Shri Ajai Sharma, Senior Supdt. of Police, Agra, while camping at Ban, received information about the presence of the dacoit gang of Jagat Pal Singh Kushwaha alias Jagta Kachhi, alongwith two kidnapped persons, in the Chambal ravines of village Bhagwanpura, Police Station Khera Rathore, Agra. Shri Sharma immediately planned to launch an operation with the available PAC/Police Force. He divided the force into five parties and detailed four Police parties as stoppers to the probable escape exits of the dacoits. The main party, consisting of a SLR Company of IV Bn., PAC, Agra, was detailed for combing the area from village Bhagwanpura owards Kenjra Ghat Road. Shri Sharma himself led this party.

When the combing party advanced about a kilometer, the sentry of the dacoit gang, standing atop the ravine, sighted the Police party and informed the gang. The gang tried to escape towards Kenjra Ghat Road but was forced to retreat by the stopper party. While retreating, the gang came face to face with the combing party and Shri Sharma asked the dacoits to surrender. The gang instead started firing and the Police

retaliated in self-defence. As the firing was ineffective, Shri Sharma asked Platoon Commander Chandra Prakash Pathak to advance and hurl two grenades to dislodge the dacoits. But this has also yielded no results as the dacoits were safely entrenched under the cover of ravines. In order to divert the attention of the dacoits, he asked Sub-Inspector Naresh Pal Yadav to take some Police force and take up position on a nearby ravine and to keep the gang engaged in firing. Under the cover of firing, Shri Sharma took a few Police personnel, including Inspector Parmendra Singh and Platoon Commander Pathak, down the ravines to take up positions in close proximity to the gang. The gang having realised the proximity of the police force and their advance towards them, directed heavy firing on them. Despite great danger to his life, Shri Sharma reached the edge of a ravine from where they were able to fire into the cavities, where some members of the gang were hiding. The exchange of fire resulted in the death of four dacoits, viz. Jagat Pal Singh Kushwaha, Babu Ram, Ram Lakhan Ahir and Bhoora Mallah.

One of the kidnapped boys was killed by dacoits and the other was rescued by the Police. Since the area was well encircled by the Police, the remaining four dacoits were also killed by the two different Police parties. Thus the entire gang of notorious dacoit Jagata Kachhi was liquidated. One 20 Spring field semi-automatic rifle, two factory-made SBBL 12 bore guns, one country-made .303 rifle, 32 live bullets, 36 live cartridges, 88 empties, one charger case and other materials were recovered from the possession of dead dacoits.

In this encounter, Shri Ajai Raj Sharma, Senior Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

No. 121-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri R. K. Tewari,
Supdt. of Police, Agra.

Shri Bhudal Singh, (Posthumous)
Deputy Supdt. of Police, Agra.

Shri Parmendra Singh,
Inspector of Police, Agra.

Shri Naresh Pal Yadav,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Bah, Agra.

Shri Jagvir Singh,
Sub-Inspector of Police, Agra.

Shri Chandra Prakash Pathak,
Platoon Commander, XV Bn. PAC, Agra.

Statement of services for which hte decoration has been awarded

On the 8th May, 1982, Senior Superintendent of Police, Agra, while camping at Bah was informed about the presence of the dacoit gang of Jagat Pal Singh Kushwaha alias Jagta Kachhi, alongwith two kidnapped persons, in the Chambal ravines of village Bhagwanpura, Police Station Khera Rathore, Agra. The Senior Supdt. of Police immediately planned to launch an operation with the available PAC/Police force. He divided the force into five parties and detailed four Police Parties as stoppers to the probable escape outlets of the dacoits. One of the stopper parties was under the charge of Shri Bhudal Singh, Deputy Supdt. of Police. The main party consisting of a SLR Company of IV Battalion, PAC, Agra was detailed for combing the area from village Bhagwanpura towards Kenjra Ghat Road. The Senior Supdt. of Police himself led this party and divided it Platoon-wise under various officers namely Shri R. K. Tewari, Supdt. of Police, Shri Parmendra Singh, Inspector, Shri Chandra Prakash Pathak, Platoon Commander, PAC, Shri Naresh Pal Yadav and Shri Jagvir Singh, Sub-Inspectors.

When the combing party advanced about a kilometre, the sentry of the dacoit gang, standing atop the ravine, sighted the Police party and informed the gang. The gang tried to escape towards kenjra Ghat Road but was forced to retreat by the stopper party. While retreating, the gang come face to face with the combing party led by the Senior Supdt. of Police, Agra and Shri R. K. Tewari, Supdt. of Police. The Senior Supdt. of Police asked the dacoits to surrender. The gang instead started firing and the Police retaliated in self-defence. As the firing was ineffective, the Senior Supdt. of Police asked Platoon Commander Chandra Prakash Pathak to advance and hurl two grenades to dislodge the dacoits. But this had yielded no results as the dacoits were safely entrenched under the cover of ravines. In order to divert the attention of the dacoits, he asked Sub-Inspector Yadav to take some Police force and take up position on a nearby ravine to keep the gang engaged in firing. Under the cover of firing, the Senior Supdt. of Police took a few persons, including Inspector Parmendra Singh and Platoon Commander Pathak, down the ravines to take up positions in close proximity to the gang. The gang having realised the proximity of the Police and their advance towards them, directed heavy firing on the Police party. Despite great danger to their lives, the Senior Supdt. of Police and his men reached the edge of a ravine from where they were able to fire into the cavities, where some members of the gang were hiding. The exchange of fire resulted in the death of four dacoits, viz., Jagat Pal Singh Kushwaha, Babu Ram, Ram Lakhan Ahir and Bhoora Mallah.

As the firing stopped, the remaining dacoits tried to escape towards the south where they were confronted by the stopper party led by Shri Bhudal Singh, Dy. Supdt. of Police. After a heavy exchange of fire he succeeded in killing two dacoits, viz. Amir and Chhotey Brahman. The remaining dacoits were forced to retreat back. Then they tried to escape towards the north, where they ware confronted by the platoons led by Shri R. K. Tewari, Supdt. of Police. Since the gang had already suffered heavy casualties, the remaining members of the gang made a desperate bid to break through the heavy firing. Shri Tewari took full advantage of his strategic position and succeeded in killing the remaining two dacoits, viz. Shatrughan Thakur and Dhanraj Thakur. Thus the entire gang of dacoit Jagata Kachhi was liquidated.

In this encounter, Shri R. K. Tewari, Superintendent of Police, Shri Bhudal Singh, Deputy Superintendent of Police, Shri Parmendra Singh, Inspector, Shri Naresh Pal Yadav, Sub-Inspector, Shri Jagvir Singh, Sub-Inspector and Shri Chandra Prakash Pathak, Platoon Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th May, 1982.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th November 1985

RESOLUTION

No. VIII-2/85-IISC.—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F. 13 (39)/62-Admn. I dated Ist June, 1962 and redesignated as "India-Japan Study Committee" vide Resolution No. VIII-2/79-IISC dated 13th January, 1979 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/85-IISC dated 22nd August, 1985 has been further reconstituted as follows :—

Shri Abid Hussain—Chairman
Shri Dinesh Singh—Member
Prof. S. Ramaseshan—Member
Shri P. S. Deodhar—Member
Shri Dhruv Sawhney—Member
Dr. P. C. Joshi—Member-Secretary

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and Heads of all Indian Missions abroad.

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India.

K. C. AGARWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 6th November 1985

RESOLUTION

No. E. 11015/6/83-HS.—Consequent upon the reconstitution of the Ministries by hte President of India, there will now be four Departments under the Ministry of Industry :—

1. Department of Industrial Development;
2. Department of Company Affairs;
3. Department of Public Enterprises; and
4. Department of Chemicals and Petro-Chemicals.

Accordingly it has been decided to amend the Resolution of even number dated 27th June, 1984 relating to the reconstitution of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Industry. The composition of the Committee will be as under :—

1. Minister of Industry — Chairman
2. Minister of State in the Ministry of Industry — Vice-Chairman

Non-Official Members

3. Shri Bharat Kumar Odedra,
Member of Parliament (Lok Sabha),
Mayur Bhojeshwar Plot,
Porbander-360575.

4. Shri Ram Singh Yadav,
Member of Parliament (Lok Sabha),
14, Janpath,
New Delhi.

Representatives of the Committee of Parliament on Official Languages.

5. Shri Ramchander Bhardwaj,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
1-A, Sunhery Bag Road,
New Delhi.

6. (To be nominated by the Committee of Parliament on Official Languages)

7. Shri Sudhakar Pandey,
Member (Rajya Sabha) &
General Secretary,
Nagri Pracharini Sabha,
Varanasi.

8. Shri R. K. Malviya,
Member (Rajya Sabha),
171, North Avenue,
New Delhi.

9. Shri Om Mehta,
Ex-Member of Parliament,
30, Prithviraj Road,
New Delhi.

10. Shri V. Radhakrishnamurti,
B-4/F-2, Udyog Nagar Colony,
Panjaguta,
Hyderabad.

11. Dr. Ram Manohar Tripathi,
M. L. A.,
Maharashtra Vidhan Parisad,
Times of India Bhavan,
Post Box No. 213,
Bombay-400 001.

12. Shri Vinod Kumar Misha,
Editor, Dainik Hindustan, 18/20, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.

13. Shri Anil Kumar Aggarwal,
Editor, Amar Ujala,
Guru Ka Tal,
Udyog Nagar,
Agra.

14. Shri Anand Swarup Jain,
Editor, Sandhya Times,
7, Bhadurshah, Jafar Marg,
New Delhi.

15. Shri Dharamvir Bharti,
Editor, Times of India,
Times of India Bhawan,
Bombay.

16. Shri M. K. Velayudhan Nair,
Secretary,
Keral Hindi Prachar Sabha,
Tiruvanantpuram-695014.

17. Dr. Virendra Kumar Dubey,
1595, Nepier Town,
Jabalpur.

18. Shri R. P. Pandey,
Vice Chairman,
Higher Education Service Commission,
33/2, Stenly Road,
Allahabad.

19. Shri Yugal Kishore Chaturvedi,
Acting Chairman,
Rajasthan Sahitya Sammelan,
Priyamvada Sadan, Ashok Marg,
'C' Scheme, Jaipur (Rajasthan)

Official Members :

(A) Department of Industrial Development

20. Secretary.
21. Additional Secretary.
22. Additional Secretary and Financial Adviser.
32. Secretary
24. Development Commissioner (Small Scale Industries).
25. Secretary (Technical Development) and Director General of Technical Development.
26. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.
27. Development Commissioner (Cement Industry).
28. Joint Secretary (Administration).
29. Joint Secretary (Secretariat of Industrial Approvals).
30. Joint Secretary (General Administration).
31. Joint Secretary (Hindi). Member-Secretary.

(B) Department of Company Affairs.

32. Secretary.
33. Joint Secretary (Administration).
34. Joint Secretary (Hindi).

(C) Department of Public Enterprises :

35. Secretary.
36. Joint Secretary (Admn.).
37. Joint Secretary (Hindi).

(D) Department of Chemicals and Petro-Chemicals :

38. Secretary.
39. Joint Secretary (Admn.).
40. Joint Secretary (Hindi).
41. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India.
42. Joint Secretary, Department of Official Language.

II. *Functions* :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Industry on matters relating to progressive use of Hindi for Official purpose and allied issues falling within the frame-work of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language).

III. The terms of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti;

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual terms of three years.

IV. *General* :

(i) The Samiti may coopt additional members and invite experts to attend its meeting or appoint Sub-Committees as may be considered necessary.

(ii) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. Travelling and other Allowances :

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State-Governments, Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. CHANANA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPN.)

New Delhi, the 7th November 1985

RESOLUTION

No. 48(8)/81-Sheep.—In supersession of this Ministry's Resolution No. 48(i)/81-Sheep dated the 22nd September, 1981, the Government of India has decided to reconstitute the Central Sheep Development Advisory Council for a period of three years with immediate effect.

The composition of the Council will be as under :—

1. *Chairman*

Minister of Agriculture and Rural Development.

2. *Vice-Chairman*

Minister of State for Agriculture.

3. *Members*

Representatives from Parliament :

(i) Two Members from Lok Sabha; and

(ii) One Member from Rajya Sabha.

Representatives of Central Govt. :

(i) Secretary, Deptt. of Agri. & Coopn.

(ii) Secretary, Deptt. of Rural Development.

(iii) Additional Secretary Incharge Animal Husbandry Division.

(iv) Animal Husbandry Commissioner.

(v) Dy. Inspector General of Forests, Deptt. of Environment, Forests and Wildlife.

(vi) A representative from Planning Commission.

(vii) A representative from Ministry of Commerce (Deptt. of Textiles).

Representative of I.C.A.R.

(i) Deputy Director General, Animal Sciences.

Representatives of Sate Governments :

(i) Director, Sheep Husbandry, J&K, Srinagar/Jammu.

(ii) Director, Animal Husbandy Himachal Pradesh, Shimla.

(iii) Director, Sheep & Wool, Rajasthan, Jaipur.

(iv) Director, Aanimal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.

(v) Director, Animal Husbandry, Karnataka, Bangalore.

(vi) Director, Animal Husbandry, Andhra Pradesh, Hyderabad.

(vii) Director, Animal Husbandry, Haryana, Chandigarh.

(viii) Director, Animal Husbandry, Tamil Nadu, Madras.

(ix) Managing Director, Gujarat Sheep & Wool Development Corporation, Ahmedabad.

(x) Managing Director, Maharashtra Sheep and Wool Development Corporation, Pune.

(xi) Managing Director, J & K, Sheep & Sheep Development Products, Srinagar.

A representative of the Khadi & Village Industry Commission

Representative of Wool Processors :

One Representative of all India Handloom.

Representatives of Trade :

(i) One representative of the Indian Woollen Mills Federation.

(ii) A representative of All India Wool Trade Federation.

Non-Officials representing Farmers' interests :

(i) Shri Karsan Bhai Purohit, B.A, LLB., At Post Jasdan, Distt. Rajkot (Gujarat).

(ii) Shri Hari Kumar Chauhan, 21/83, Dhuliyaganj, Agra-282003.

(iii) Shri Ramji Lala Negi, Village & P.O. Asrang, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

(iv) Shri Balla Ram Devasi, Advocate, President, Rajasthan Pashu Palan Sangh, Jalore (Rajasthan).

(v) Shri Sujana Ram Rabari, Advocate, Pradesh President, Rajasthan Pashu Palak Sangh, Jalore (Rajasthan).

4. *Member-Secretary*

Joint Commissioner (Sheep)

In addition, the Government of India may nominate additional members from time to time.

The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider from time to time sheep, goat, rabbit Development programmes formulated by the Centre and the State Governments;

(ii) To review the progress of sheep, goat and rabbit development programmes and suggest measures for ascertaining the tempo wherever necessary;

(iii) To consider problems concerning wool grading, processing and its utilisation;

(iv) To consider problems of marketing of sheep, goats, rabbits and their produce;

(v) To consider the policies relating to import/export of sheep, goats, rabbits and their produce; and

(vi) Any other function which may from time to time be assigned to the Council.

The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt.

2. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. SARAO, Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 11th November 1985

RESOLUTION

No. E-11015/1/85-Hindi.—In this Ministry's resolution No. E-11015/1/85-Hindi, dated 9th September, 1985 regarding re-constitution of Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information & Broadcasting, the entries against S. No. 20 of Para 2 may be read as under :—

"Shri M. Subramanian,
President,
Kendriya Sachavilaya Hindi Parishad,
New Delhi."

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commsision, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. JAFA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & TOURISM

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 21st November 1985

RESOLUTION

SUBJECT :—*Re-Constitution of the Working Group for examining the implementation of the recommendations of all the All India Whips' Conferences.*

In pursuance of the unanimous resolution passed by the Ninth All India Whips' Conference held at Shimla in October, 1983, a Working Group was constituted on 7th May, 1984, to examine and scrutinise the recommendations of all the All India Whips' Conferences so far held and to suggest suitable administrative and legislative measures for implementing them. It has now been decided to re-constitute the Working Group.

2. The personnel of the re-constituted Working Group will be as under :—

1. Shri H. K. L. Bhagat, Union Minister of Parliamentary Affairs & Tourism — CHAIRMAN
2. Shri Ghulam Nabi Azad, Minister of State for Parliamentary Affairs — VICE-CHAIRMAN
3. Shri Sitaram Kesri, Minister of State for Parliamentary Affairs — VICE-CHAIRMAN

REPRESENTATIVES OF PARTIES/GROUPS IN PARLIAMENT

4. Shri V. Sobhanadreeswara Rao, Member of Parliament — TELUGU DESAM
5. Shri Amal Datta, Member of Parliament — C. P. I. (M)
6. Shri V. S. Krishna Iyer, Member of Parliament — JANATA
7. Shri Vijoy Kumar Yadav, Member of Parliament — C.P.I.
8. Shri V. Kishore Chandra S. Deo, Member of Parliament — CONGRESS(S)
9. Shri Hari Krishna Shastri, Member of Parliament — CONGRESS(I)
10. Shri Sa t Paul Mittal, Member of Parliament — CONGRESS(I)
11. Shri Ram Naresh Kushwaha Member of Parliament — LOK DAL
12. Shri Ashwini Kumar, Member of Parliament — B.J.P.

REPRESENTATIVES OF STATES

13. Shri K. V. Narayana Rao, Govt. Chief Whip — ANDHRA PRADESH
14. Thiru Durai Govindarajan, Govt. Chief Whip — TAMIL NADU
15. Shri Patit Paban Pathak, Govt. Chief Whip and Minister of State in-charge of Home (Parliamentary Affairs) Deptt. — WEST BENGAL
16. Shri Ram Kishore Shukla Minister of Finance and Law. — MADHYA PRADESH
17. Shri Rajavardhan, Govt. Chief Whip — KARNATAKA
18. Shri Bulakidas Kalla, Govt. Chief Whip — RAJASTHAN
19. Shri Bhishma Prasad Yadav, Govt. Chief Whip — BIHAR
20. Shri Sk. Matlub Ali, Govt. Chief Whip — ORISSA
21. Shri Hukum Singh, Minister for Parliamentary Affairs, Animal Husbandry, Food & Civil Supplies. — UTTAR PRADESH
22. Shri N. M. Tidke, Minister for Co-operation, Labour and Legislative Affairs and Govt. Chief Whip — MAHARASHTRA
23. Dr. K. C. Joseph, Govt. Chief Whip — KERALA

3. The term of reference of the re-constituted Working Group will be to examine and scrutinise the recommendations of all the All India Whips' Conferences held so far and to suggest suitable administrative and legislative measures for implementing them at the earliest.

4. The Working Group may divide itself into various Study Groups as decided by the Chairman/Working Group

5. The Working Group may :—

(a) obtain information as they may consider necessary or relevant for their purpose in such form and such manner as they may think appropriate from the Central Government, the State Governments, the Union Territory Administrations and such other authorities, organisations or individuals as may in the opinion of the Working Group, be of assistance to them;

(b) held their sittings or the sittings of such Study Groups as they may appoint from amongst their own members at such time and place as may be determined by, or under the authority of the Chairman.

(c) co-opt any person it deems necessary as its member.

6. The headquarters of the Working Group will be located at Delhi.

7. The Union Department of Parliamentary Affairs, Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism, shall provide secretarial assistance to Working Group and its Study Groups and the Secretary, Department of Parliamentary Affairs, Ministry of Parliamentary Affairs & Tourism, shall be the Secretary of the Working Group.

8. The Working Group will try to finalise its report as early as possible, preferably within a period of six months from the date of its first sitting.

ISHWARI PRASAD, Secretary

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th November 1985

No. Q-16011/7/85-WE.—In this Ministry's Notification No. Q-16011/7/85-WE dated 16th September, 1985, the words.

"from the date of issue of this Notification"

shall be substituted by the words and figures

'with effect from 19th August, 1985"

No. Q-16011/7/85-WE.—In this Ministry's Notification No. Q-16011/7/85-WE dated 11th October, 1985, the words and figures :—

"with effect from 16th September, 1985"

shall be substituted by the words and figures :—

"with effect from 19th August, 1985".

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1985